न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 05.07.2019

अपील संख्या 2019/00158

उनवान

चांद उर्फ फईमुद्दीन वल्द मकदूम, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन हाल निवासी झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती तमीजन बेवा मकदूम, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन हाल निवासी धानमण्डी झालावाड़ जिला झालावाड़
2– श्रीमती रजिया पुत्री मकदूम पत्नी अब्दुल रजाक, जाति मुसलमान, हाल निवासी गागरोन गेट झालावाड़ जिला झालावाड़
3– श्रीमती बाई बन्नो पुत्री मकदूम पत्नी अब्दुल रशीद, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन हाल निवासी झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0)
4– समीउद्दीन वल्द मकदूम, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन हाल निवासी धानमण्डी झालावाड़ जिला झालावाड़
5– मनोज कुमार राजपाल पुत्र भीमराज, जाति सिंधी, निवासी काले बाबू की हवेली, धानमण्डी झालावाड़, जिला झालावाड़
6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री इकबाल अहमद अभिभाषक अपीलांट की ओर से
सुश्री भगवती व श्री बच्चू लाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 5 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

दिनांक : 26.10.2023

निर्णय

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 468/2012/दावा निर्णय दिनांक 11.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92, व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ में खातेदार मकदूम पुत्र अजीज खां के खाते की आराजी खसरा नम्बर 227 की 0.7000 हेक्टर, खसरा नम्बर 229 की 0.1500 हेक्टर, खसरा नम्बर 235 की 0.2700 हेक्टर, खसरा नम्बर 236 की 0.2700 हेक्टर, खसरा नम्बर 237 की 0.2800 हेक्टर, खसरा नम्बर 238 की 0.0400 हेक्टर, खसरा नम्बर 240 की 1.1000 हेक्टर, खसरा नम्बर 241 की 0.4100 हेक्टर, खसरा नम्बर 242 की 0.0900 हेक्टर, खसरा नम्बर 243 की 0.6100 हेक्टर, खसरा नम्बर 244/543 की 0.0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 250 की 0.1200 हेक्टर, खसरा नम्बर 250/486/542 की 0.0900 हेक्टर, खसरा नम्बर 252 की 0.6100 हेक्टर, खसरा नम्बर 253 की 0.1200 हेक्टर, खसरा नम्बर 254 की 0.1300 हेक्टर, खसरा नम्बर 255 की 1.3300 हेक्टर व खसरा नम्बर 264 की 0.0600 हेक्टर कुल खसरा 18 किता, कुल रकबा 6.4300 हेक्टर 110 रूपया 04 पैसे जिसका खाता नम्बर 52 पुराना खाता 53 सम्वत 2065–68 है तथा खसरा नम्बर 258 की 0.4800 हेक्टर लगानी 2.18 रूपया खाता नम्बर 51 पुराना 73 सम्वत 2065–68 की है। प्रतिवादी नम्बर 1 अपीलांट चांद उर्फ फईमुद्दीन की ओर से एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के दिनांक 07.04.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 7 व दफा 151 सी. पी. सी. के तहत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2017 से अपीलांट चांद उर्फ फईमुद्दीन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, झालावाड का आदेश दिनांक 11.12.2017 खिलाफ कानून व पत्र संग्रह पत्रावली के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायलय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 दिनांक 11.03.2014 को बुखार से पीड़ित था और बीमारी के कारण वो अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। अदालत में अनुपस्थित होने का रीजनेबल व उचित कारण था तथा अपीलांट ने बगैर किसी विलम्ब के दिनांक 07.04.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर एक तरफा आदेश दिनांक 11.03.2014 को हटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर दिया। रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 ने इस प्रार्थना पत्र के जवाब पेश किये किन्तु शपथ पत्र अपने जवाब के साथ पेश नहीं किया और अपीलांट के शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया, किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील पारित किया है जो गैर कानूनी है और निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर बगैर उचित कारण के आदेश जेर अपील पारित किया है जो गैर कानूनी है और निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बगैर आदेश जेर अपील पारित किया है जो गैर कानूनी है और निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में दिनांक 14.05.2014 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होना दर्ज किया है जबकि अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही हटाये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2014 को ही पेश कर दिया गया था। वादीगण की ओर से जवाब 14.05.2014 को पेश हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने भ्रमित होकर आदेश पारित किया है जो गैर कानूनी है और निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत एक तरफा कार्यवाही हटाये जाने के प्रार्थना पत्र व उसके साथ सलंग्न शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को नजर अन्दाज करके आदेश दिया है जो गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व प्रकिया के स्थापित मापदण्डों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट विवादग्रस्त आराजीयात का रेकार्डेड खातेदार टेनेन्ट है जबकि रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 का विवादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का हक व कब्जा नहीं है और यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और एकपक्षीय आदेश नहीं हटाया गया तो अपीलांट अपने कब्जे काश्त व खाते की आराजीयात में निहित अपने हितों व संवैधानिक अधिकारों से महरूम हो जायेगा और विवाद बढ़ेगा। इस कारण भी आदेश जेर अपील गैर कानूनी और निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर अपील आरबीट्रेरी, परवर्स व गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादी नं. 2 नईमउद्दीन वल्द मकदूम मुसलमान, निवासी गागरोन हाल झालावाड़ की मृत्यु 5 वर्ष पहले हो गई है और अधीनस्थ न्यायालय में उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही है। वादीगण रेस्पोडेंट की ओर से मृतक के कायम मुकामान पर रेकार्ड पर लिये जाने का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है जिस कारण से नईमुद्दीन की मृत्यु होने से उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है और क्योंकि वादीगण रेस्पोडेंट ने उसके वारिसान को भी रेकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है जिस कारण उनको भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, झालावाड का आदेश दिनांक 11.12.2017 अपास्त किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा अपीलांट के विरूद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 11.03.2017 को निरस्त किया जावे तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट प्रतिवादी ने दिनांक 07.04.2014 को एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 7 व दफा 151 सी.पी.सी. के तहत उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के मूल वाद के एकपक्षीय आदेश दिनांक 11.03.2014 को निरस्त किये जाने हेतु पेश किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ ने संक्षिप्त

रूप से यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रार्थना पत्र के साथ बुखार का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया और सरसरी तौर पर एक पक्षीय आदेश हटाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

6 माननीय न्यायालय में उक्त उनवान की अपील दर्ज होने के पश्चात रेस्पोडेंट को नोटिसेस जारी किये गये किन्तु रेस्पोडेंट को नोटिस की तामील होने के बावजूद रेस्पोडेंट द्वारा अपील के ग्राउण्ड्स का खण्डन नहीं किया गया और रेस्पोडेंट नं. 5 मनोज कुमार के अलावा अन्य रेस्पोडेंट की ओर से न्यायालय में किसी ने उपस्थिति भी दर्ज नहीं करवाई।

7 विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.12.2017 में भ्रामक रूप से अपीलांट प्रतिवादी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही हटाने के प्रार्थना पत्र की दिनांक 14.05.2017 गलत तरीके से दर्ज की गई है क्योंकि अपीलांट प्रतिवादी ने दिनांक 07.04.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही को हटाने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था इसका जवाब रेस्पोडेंट वादीगण की ओर से दिनांक 14.05.2017 को पेश किया गया। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड की मिसल नं. 468/2012 दावा श्रीमती तमीजन बनाम चांद की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 दिनांक 07.04.2014 को पेश किया गया है। नकल वकील वादी को दी गई है और वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2014 नियत की गई। अपील के साथ यह आर्डरशीट की नकल श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है

8 अपीलांट ने एकपक्षीय आदेश 11.03.2014 के 27 दिन पश्चात 07.04.2014 को एक पक्षीय आदेश हटाने का प्रार्थना पत्र विधिवत पेश कर दिया और उसमें दिनांक 11.03.2014 को अनुपस्थित होने का रीजनेबल व बोनाफाइड कारण भी दर्ज किया गया है कि वो बुखार से पीड़ित था इसलिए वह अदालत में हाजिर नहीं हो सका और अपने वकील को भी सूचना नहीं दे सका। किन्तु इस पर विचार नहीं करके प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है जो गैर कानूनी है।

9 रेस्पोडेंट्स वादीगण की ओर से दिनांक 14.05.2017 को एक तरफा कार्यवाही हटाने के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया है लेकिन अपने जवाब के साथ कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है और अपीलांट के बीमार होने का भी खण्डन नहीं किया है किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो गैर कानूनी है और निरस्तनीय है।

10 प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कई फैसलों में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि टेक्नीकल ग्राउण्ड के आधार पर मामलात में निर्णय पारित नहीं करना चाहिए बल्कि पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई हेतु अवसर दिया जाना चाहिए। जिस वजह से आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

11 अपीलांट प्रतिवादी विवादग्रस्त आराजीयात का रेकार्डेड खातेदार टेनेन्ट है और उसका ही कब्जा व काश्त आराजीयात पर चला आ रहा है। यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और एकपक्षीय आदेश नहीं हटाया गया तो अपीलांट के खातेदारी, स्वामित्व व कब्जे की भूमि में निहित हितों व संवैधानिक अधिकारों से अपीलांट महरूम हो जावेगा, विवाद बढ़ेगा इस कारण से आदेश जैर अपील गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है।

12 न्यायहित में भी आदेश जैर अपील का निरस्त किया जाना अति आवश्यक है।

13 अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, झालावाड का आदेश दिनांक 11.12.2017 को अपास्त किया जावे और एक पक्षीय आदेश दिनांक 11.03.2014 को निरस्त किया जावे और अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में डी.एन.जे.(राज.) 1997 पेज 752 की न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

14 हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 9 नियम 7 प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2017 को खारिज कर दिया जो एक अंतरिम आदेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के पठन से यह विदित है कि तृतीय अनुसूची के भाग 2 में कम सं. 35 क से 85 तक में इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन दिये जाने वाले आवेदनों की सूची दी गई हैं। इन आवेदनों पर दिये गये अंतिम आदेशों की अपील होगी। अंतरिम या अन्ततिम आदेशों की नहीं। प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई खारिज करते हुए दिनांक 11.12.2017 पारित किया गया आदेश एक अंतरिम आदेश है। अतः इस आदेश के विरूद्ध पेश की गई अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

15 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।

16 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा